भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 129

(जिसका उत्तर, सोमवार, 03 जनवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

ऑफ-बजट व्यय

129. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः श्री गौरव गोगोईः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि लगभग चार लाख करोड़ का व्यय ऑफ-बजट व्यय के रूप में दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ऑफ-बजट खर्च का ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों की ओर धन राशि लक्षित की गई थी और उक्त ऑफ-बजट खर्च हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार धन राशि सृजित की गई थी;

(ग) वर्ष 2014 से लेकर अब तक सरकार द्वारा खर्च किए गए ऑफ-बजट दायित्वों का ब्यौरा क्या है और उसका मूल्य कितना है;

(घ) क्या वित्त वर्ष 2017-18 का राजकोषीय घाटा दर्ज किए गए घाटे से 0.9 प्रतिशत अधिक है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान ऑफ-बजट दायित्वों सहित राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिसके कारण इन दायित्वों को बजट में शामिल नहीं कियागया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क), (ख) और (ग): व्यय रूपरेखा 2019-20 के विवरण 27 में 2016-17 से भारत सरकार के (पूर्णतः सेवित सरकारी बांड) अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के ब्यौरे समाहित होते हैं। उक्त विवरण की प्रति अनुबंध में दी गई है।

(घ) और (ड): जी, नहीं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 2(क) के अनुसार, "राजकोषीय घाटा का अर्थ वित्त वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से निधि में कुल प्राप्तियों में (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर), ऋण अदायगी को निकालकर कुल संवितरण के आधिक्य से है,"। विगत पांच वर्षों में इस घाटे के अनुसार राजस्व घाटा नीचे सारणी में देखा जा सकता है।

वित्त वर्ष	राजकोषीय घाटा (₹ करोड़)	जीडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा
2014-15	5,10,817	4.1%
2015-16	5,32,783	3.9%
2016-17	5,37,799	3.5%
2017-18	5,91,062	3.5%
2018-19 (अनंतिम)	6,45,367	3.4%

स्रोत: 1. केंद्र सरकार वित्त लेखे

2. मार्चांत 2019 में लेखापरीक्षा नहीं किए गए मासिक लेखे

(च) व्यय रूपरेखा के विवरण 27 में समाहित अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के कारण हुई देनदारियां सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जुटाई जाती हैं। इन देनदारियों के कारण जब भी ब्याज अदायगी तथा मूलधन की अदायगी को उत्पन्न होने वाले संबंधित अनुदान मांगों में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

*****

विवरण 27

अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का विवरण (पूर्ण सरकारी सेवित बांड्स)					
					(₹ करोड़)
मांग सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम और स्कीम का नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (बअ)**
		वास्तविक	**वास्तविक**	**वास्तविक**	
42	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**				
	प्रधान मंत्री सुकन्या समृद्धि योजना	---	---	---	5000.00
56	**आवासन और शहरी मामले मंत्रालय**				
	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	---	---	20000.00	20000.00
58	**उच्चतर शिक्षा विभाग**				
	उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना एवं तंत्र को पुनर्जीवित करना (आरआईएसई)	---	---	---	5000.00
60	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**				
	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (एआईबीपी एवं अन्य योजनाएं)	2187.00	3105.00	5493.40	4882.00
61	**पेयजल और स्वच्छता विभाग**				
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	---	---	8698.20	5000.00
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	---	---	---	6300.00
69	**नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**				
	(i) ग्रिड इंट्रेक्टिव नवीकरणी ऊर्जा, ऑफ ग्रिड/वितरित एवं विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा	1640.00	---	---	---
	(ii) किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) सौर ऊर्जा)	---	---	---	822.00
76	**विद्युत मंत्रालय**				
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	5000.00	4000.00	13827.00	9000.00
	(ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि योजनाएं	---	---	5504.70	
84	**ग्रामीण विकास विभाग**				
	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	---	7330.00	10668.80	---
89	**पोत परिवहन मंत्रालय**				
	भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वीप समूह (आईडब्ल्यूएआई) योजनाएं	340.00	660.00	---	1000.00
	कुल जोड़	***9167.00***	***15095.00***	***64192.10***	***57004.00***